रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 948] नई दिल्ली, शुक्रवार नवम्बर 24, 2017/अग्रहायण 3, 1939

No. 948] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017/AGRAHAYANA 3, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1443(**अ**).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (जेड ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक कानूनी निकाय, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) में समूह 'क' और समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन), समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.** - ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.** – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.** - वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

8. **सेवा की अन्य शर्तें.** - भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तों, जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं, को केन्द्रीय सरकार के इसी प्रकार की श्रेणी/स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय-समय पर लागू ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. वैज्ञानिक 'एफ'	*6 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 क (131100-216600रु.)	लागू नहीं होता।	50 वर्ष। **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य	**(1) शैक्षिक अर्हताएं:** (क) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में आठरह वर्ष (इंजीनियर संस्थान के सहयुक्त सदस्य के रूप में उन्नीस वर्ष) का अनुभव सहित प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या (कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिकी और संचार या

					के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार) इंजीनियर संस्थान (ए एंड बी) का सहयुक्त सदस्य; या (ख) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में उन्नीस वर्ष का अनुभव सहित विज्ञान (एमएससी) (भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिकी या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी) में मास्टर डिग्री; या (ग) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में उन्नीस वर्ष का अनुभव सहित (डीओइएससी) बी-स्तर का इलेक्ट्रॉनिकी और प्रत्यायन विभाग का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियर (आईईटीई) से स्नातक; या (घ) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में उन्नीस वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर (एम सी ए)। (2) अनिवार्य और संबंधित अनुभव: जिनके पास उपरोक्त (1) पर (क) से (घ) और उपरोक्त किसी एक या संयुक्त (1) पर (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट संगठनों में भी निम्नलिखित क्षेत्रों में यथाविनिर्दिष्ट अवधि का अनुभव है:-

						(i) समस्त परियोजना का क्रियान्वयन और कार्यान्वयन और प्रशासनिक तथा तकनीकी प्रक्रियाओं का प्रबंधन; (ii) क्रियाकलापों का निदेशन और नियंत्रण, अवसंरचना, प्रणाली का संस्थापन और क्रियान्वयन; (iii) अनुकूलन योजनाओं, प्रचालन प्रक्रियाओं को नव परिवर्तन और सर्जनात्मक रूप देना; (iv) सभी समूहों और पणधारियो के बीच मजबूत संबंधों का समन्वयन और अनुरक्षण; (v) नेटवर्क, साइबर विधियां, ई-वाणिज्य, साइबर सुरक्षा और साइबर न्यायिक महत्व वाले सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुभव। (3) निम्नलिखित एक या ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है - (i) वित्तीय सेवाएं सेक्टर; या (ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर; या (iii) दूरसंचार सेक्टर; या (iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा सेक्टर; या (v) परिवहन सेक्टर; या (vi) विनिर्माण सेक्टर; या (vii) स्वास्थ्य सेक्टर।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता। **टिप्पण:** वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों को प्रोन्नति उपांतरित सुनम्य मानार्थ स्कीम (एमएफसीएस) या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की किसी अन्य नीति के अधीन होगी।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुन:नियोजन या सीधी भर्ती।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (118500-214100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (78800-209200 रु.) या समतुल्य में नौ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

			भूतपर्व सैनिकों के लिए: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य; 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से अपर सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर का कोई अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. वैज्ञानिक 'ई'	*6 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (118500-214100 रु.)	लागू नहीं होता।	45 वर्ष। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के	**(1) शैक्षिक अर्हताएं:** (क) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में तेरह वर्ष (इंजीनियर संस्थान के सहयुक्त सदस्य के रूप में चौदह वर्ष) का अनुभव सहित प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या (कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिकी या संचार या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार) इंजीनियर

					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	संस्थान (ए एंड बी) का सहयुक्त सदस्य; या **(ख)** मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में चौदह वर्ष का अनुभव सहित विज्ञान (एमएससी) (भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिकी या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी) में मास्टर डिग्री; या (ग) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में चौदह वर्ष का अनुभव सहित (डीओइएसीसी) बी-स्तर का इलेक्ट्रॉनिकी और प्रत्यायन विभाग का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियर (आईईटीई) से स्नातक; या (घ) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानुनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में चौदह वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर (एम सी ए)। **(2) अनिवार्य और संबंधित अनुभव:** जिनके पास उपरोक्त (1) पर (क) से (घ) और उपरोक्त किसी एक या संयुक्त (1) पर (क) से (घ) में

						विनिर्दिष्ट संगठनों में भी नेटवर्क, साइबर विधियां, ई-वाणिज्य,साइबर सुरक्षा और साइबर न्यायिक महत्व वाले सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यथाविनिर्दिष्ट अवधि का अनुभव है। **(3)** निम्नलिखित एक या ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है - (i) वित्तीय सेवाएं सेक्टर; या (ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर; या (iii) दूरसंचार सेक्टर; या (iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा सेक्टर; या (v) परिवहन सेक्टर; या (vi) विनिर्माण सेक्टर; या (vii) स्वास्थ्य सेक्टर।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता। **टिप्पण:** वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की प्रोन्नति उपांतरित सुनम्य मानार्थ स्कीम (एमएफसीएस) या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की किसी अन्य नीति के अधीन होगी।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुन:नियोजन या सीधी भर्ती ।	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- **(क)** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और **(ख)** जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले

			व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **भूतपर्व सैनिकों के लिए:** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष; 2. वैज्ञानिक 'जी' या 'एफ', भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य; 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से वैज्ञानिक 'एफ' या ऊपर के स्तर का अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. वैज्ञानिक 'डी'	*14 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.)	लागू नहीं होता।	40 वर्ष। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की	**(1)शैक्षिक अर्हताएं:** (क) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में आठ वर्ष (इंजीनियर संस्थान

					गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	के सहयुक्त सदस्य के रूप में नौ वर्ष) का अनुभव सहित प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या (कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिकी या संचार या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार) इंजीनियर संस्थान (ए एंड बी) का सहयुक्त सदस्य; या (ख) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में नौ वर्ष का अनुभव सहित विज्ञान (एमएससी) (भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिकी या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी) में मास्टर डिग्री; या (ग) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में नौ वर्ष का अनुभव सहित (डीओइएसीसी) बी-स्तर का इलेक्ट्रॉनिकी और प्रत्यायन विभाग का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियर (आईईटीई) से स्नातक; या (घ) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानुनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में नौ वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यूटर उपयोजन

						में मास्टर (एम सी ए)। **(2) अनिवार्य और संबंधित अनुभव:** जिनके पास उपरोक्त (1) पर (क) से (घ) और उपरोक्त किसी एक या संयुक्त (1) पर (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट संगठनों में भी नेटवर्क, साइबर विधियां, ई-वाणिज्य,साइबर सुरक्षा और साइबर न्यायिक महत्व वाले सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यथाविनिर्दिष्ट अवधि का अनुभव है। (3) निम्नलिखित एक या ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है - (i) वित्तीय सेवाएं सेक्टर; या (ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर; या (iii) दूरसंचार सेक्टर; या (iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा सेक्टर; या (v) परिवहन सेक्टर; या (vi) विनिर्माण सेक्टर; या (vii) स्वास्थ्य सेक्टर।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता। **टिप्पण:** वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की प्रोन्नति उपांतरित सुनम्य मानार्थ स्कीम (एमएफसीएस) या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कार्मिक और	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुन:नियोजन या सीधी भर्ती।	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- **(क)** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या **(ii)** जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11(67700-208700 रु.)

प्रशिक्षण विभाग की किसी अन्य नीति के अधीन होगी।			या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **भूतपर्व सैनिकों के लिए:** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिज़र्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल -अध्यक्ष; 2. वैज्ञानिक 'एफ' या समतुल्य, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य; 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से वैज्ञानिक 'एफ' स्तर का अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. वैज्ञानिक 'सी'	* 42 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.)	लागू नहीं होता।	35 वर्ष। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में	**(1)शैक्षिक अर्हताएं:** (क) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त

	सकता है।				अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विनिर्दिष्ट की गई है।)	निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में पांच वर्ष (इंजीनियर संस्थान के सहयुक्त सदस्य के रूप में छह वर्ष) का अनुभव सहित प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या (कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिकी और संचार या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार) इंजीनियर संस्थान (ए एंड बी) का सहयुक्त सदस्य; या (ख) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में छह वर्ष का अनुभव सहित विज्ञान (एमएससी) (भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिकी या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी) में मास्टर डिग्री; या **(ग)** मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में छह वर्ष का अनुभव सहित (डीओइएसीसी) बी-स्तर का इलेक्ट्रॉनिकी और प्रत्यायन विभाग का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियर (आईईटीई) से स्नातक; या (घ) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय

						सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानुनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में छह वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर (एम सी ए)। **(2) अनिवार्य और संबंधित अनुभव:** जिनके पास उपरोक्त (1) पर (क) से (घ) और उपरोक्त किसी
						एक या संयुक्त (1) पर (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट संगठनों में भी नेटवर्क, साइबर विधियों, ई-वाणिज्य, साइबर सुरक्षा और साइबर न्यायिक महत्व वाले सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यथाविनिर्दिष्ट अवधि का अनुभव है। **(3)** निम्नलिखित एक या ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है - (i) वित्तीय सेवाएं सेक्टर; या (ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर; या (iii) दूरसंचार सेक्टर; या (iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा सेक्टर; या (v) परिवहन सेक्टर; या (vi) विनिर्माण सेक्टर; या (vii) स्वास्थ्य सेक्टर।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता। टिप्पण: वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की प्रोन्नति उपांतरित सुनम्य मानार्थ स्कीम (एमएफसीएस) या	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुन:नियोजन या सीधी भर्ती।	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की किसी अन्य नीति के अधीन होगी।			धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **भूतपर्व सैनिकों के लिए:** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष; 2. वैज्ञानिक 'ई' या समतुल्य, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से निदेशक या समतुल्य स्तर का कोई अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

5. वैज्ञानिक 'बी'	*57 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम	**(1)शैक्षिकअर्हताएं:** मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य (इंजीनियर संस्थान के सहयुक्त सदस्य के रूप में एक वर्ष) का अनुभव सहित प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या (कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिकी या संचार या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार) इंजीनियर संस्थान (ए एंड बी) का सहयुक्त सदस्य; या (क) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में एक वर्ष का अनुभव सहित विज्ञान (एमएससी) (भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिकी या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी) में मास्टर डिग्री; या **(ख)** मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में एक वर्ष का अनुभव सहित (डीओइएसीसी) बी-स्तर

					भेजने के लिए कहा गया है।	का इलेक्ट्रॉनिकी और प्रत्यायन विभाग का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियर (आईईटीई) से स्नातक; या (ग) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानुनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में एक वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर (एम सी ए)। (2) निम्नलिखित एक या ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है - (i) वित्तीय सेवाएं सेक्टर; या (ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर; या (iii) दूरसंचार सेक्टर; या (iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा सेक्टर; या (v) परिवहन सेक्टर; या (vi) विनिर्माण सेक्टर; या (vii) स्वास्थ्य सेक्टर।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता। टिप्पण: वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की प्रोन्नति उपांतरित सुनम्य मानार्थ स्कीम (एमएफसीएस) या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कार्मिक और प्रशिक्षण	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुन:नियोजन या सीधी भर्ती।	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण

विभाग की किसी अन्य नीति के अधीन होगी ।			किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में क्रमश: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 या स्तर - 7 (47600-151100 रु.) या (44900-142400 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो या तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **भूतपर्व सैनिकों के लिए:** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष; 2. वैज्ञानिक 'ई' या समतुल्य या ऊपर का अधिकारी भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य; 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से वैज्ञानिक 'ई' या ऊपर के स्तर का कोई अधिकारी -सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. विधि अधिकारी	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (118500-214100 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुन:नियोजन	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है; **(ख) अनिवार्य अर्हताएं और अनुभव:** (i) जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री है; और (ii) जिसके पास संबंधित मामलों को करने का तेरह वर्ष का अनुभव है: (क) महत्वपूर्ण निविदाओं या करार या लागत और लेखा सहित प्रशासन या वित्त; और (ख) ई-शासन बौद्धिक संपदा अधिकार नेटवर्क, साइबर विधियां, ई-वाणिज्य जिसके अंतर्गत ई-शासन, नेटवर्क, बौद्धिक संपदा अधिकार, साइबर विधियां, ई-वाणिज्य क्षेत्रों में अकादमी के क्षेत्र का अनुभव भी सम्मिलित है। **(ग) वांछनीय अर्हताएं:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइबर विधियां में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

			भूतपर्व सैनिकों के लिए: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञानिक 'जी' या समतुल्य - सदस्य; 3. अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन से संयुक्त सचिव, भारत सरकार के स्तर का कोई अधिकारी या समतुल्य अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. ज्येष्ठ निजी सचिव	*2 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुन:नियोजन	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) ऐसे निजी सचिव जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है । (ख) आवेदक को आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए और उसे कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।

			टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **भूतपर्व सैनिकों के लिए:** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या वैज्ञानिक 'डी' के स्तर का अधिकारी - अध्यक्ष; 2. भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का उप सचिव या समतुल्य अधिकारी - सदस्य; 3. भारत सरकार [illegible] या वि[illegible] या कानूनी निकायों से वैज्ञानिक 'डी' स्तर का अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. प्रशासनिक अधिकारी	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुन:नियोजन।	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

			(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रु.) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200-92300 रु.) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; और
			(ख) आवेदक को किसी सरकारी संगठन या कार्यालय में सभी प्रशासनिक मामलों और कार्मिक मामलों को संभालने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
			टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
			टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
			भूतपर्व सैनिकों के लिए:
			सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिज़र्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष; 2. भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का निदेशक या समतुल्य अधिकारी - सदस्य; 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन से उप सचिव या समतुल्य अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. लेखा और वित्त अधिकारी	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता